न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान) केम्प कोर्ट, शिवतलाव
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 10/20220 GCMS No 2020/00015
दायरा तिथि : 14.02.2020
फैसला तिथि : 08.10.2021
प्रार्थी:–
रामसिंह पुत्र नवाजी जाति पुरोहित
निवासी शिवतलाव तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक 08.10.2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान, 2021 केम्प शिवतलाव में पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी पेश कर प्रार्थी द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम शिवतलाव के खसरा नंबर 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813 कुल खसरा–07 कुल रकबा 3.21 हैक्टर में बतौर सह खातेदार दर्ज अपने **नाम रामा वल्द नन्दा को त्रुटिपूर्ण** बताया, इसी प्रकार सह खातेदारी में धारित की जा रही अन्य भूमि ग्राम शिवतलाव के खसरा नंबर 1309, 1310, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 127, 1327/1392, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 996, 997 कुल खसरा–30 कुल रकबा 15.53 में दर्ज अपने **नाम रामा पुत्र वरदा** को भी **त्रुटिपुर्ण** बताते हुये दुरस्ती के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम रामसिंह पुत्र नवाजी दर्ज** किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य खतौनी बंदोवस्त संवत् 2009 से 2028, गत् खसरा नंबर 523 की प्रति, जिसके अनुसार **रामा वल्द नवा 1/8 हिस्सा** में दर्ज था। इसके साथ ही गत् खसरा नंबर 572, 664, 572/722 की खतौनी संवत् 2009 से 2028 की पेश की, जिसमें **रामा वल्द नवा 1/8 हिस्सा** में दर्ज हैं। गत् नबंर से हाल खसरा नंबर बनने की पुष्टि में मिलान क्षैत्रफल की प्रति, तथा गत् खसरा नंबर 523 से बने हाल खसरा नंबर 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813 कुल खसरा–07 कुल रकबा 3.21 हैक्टर की मिसल बन्दोवस्त की प्रति, जिसके अनुसार भू0प्रबन्ध बाद के लेखों में **रामा वल्द नन्दा** इस भूमि में दर्ज किया गया। इसी प्रकार गत् खसरा नंबर 572, 664, 572/722 से बने हाल खसरा नंबर 1309, 1310, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 127, 1327/1392, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 996, 997 कुल खसरा–30 कुल रकबा 15.53 की मिसल बंदोवस्त संवत् 2037 से 2056 की प्रति पेश की, जिसके अनुसार भूप्रबन्ध पश्चात् के लेखो में **रामा वल्द वरदा 1/8 हिस्सा** में दर्ज हैं। जो त्रुटिपुर्ण नाम वर्तमान अधिकार अभिलेखों में मौजुद हैं। जबकि प्रार्थी द्वारा धारित अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड के अनुसार प्रार्थी का **सही व वास्तविक नाम रामसिंह पुत्र नवाजी** हैं। सबंध में तहसीलदार, बाली ने रेकर्ड से जांच कर रिपोर्ट पेश की। जांच रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों में प्रार्थी का नाम भू0प्रबन्ध के पुर्व के लेखो में यथा संवत् 2009 से 2028 की खतौनियो में प्रार्थी का सही नाम रामा वल्द नवा दर्ज था, जिसको भू0प्रबन्ध बाद के रेकर्ड मिसल बन्दोवस्त में **त्रुटिपुर्ण तौर से रामा वल्द नन्दा व रामा व वल्द वरदा** दर्ज कर दिया गया, जो वर्तमान रेकर्ड भी त्रुटिपुर्ण नाम दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा धारित अन्य सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड में प्रार्थी का सही नाम रामसिंह पुत्र नवाजी दर्ज होने तथा भू0बन्ध विभाग की त्रुटि होने से दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम शिवतलाव के खसरा नंबर 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813 कुल खसरा–07 कुल रकबा 3.21 हैक्टर में बतौर सह खातेदार दर्ज **प्रार्थी के त्रुटिपुर्ण नाम रामा वल्द नन्दा** एवं इसी प्रकार सह खातेदारी में धारित की जा रही अन्य भूमि ग्राम शिवतलाव के खसरा नंबर 1309, 1310, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 127, 1327/1392, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 996, 997 कुल खसरा–30 कुल रकबा 15.53 में दर्ज प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण नाम रामा पुत्र वरदा** को दुरस्ती के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम रामसिंह पुत्र नवाजी दर्ज** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, शिवतलाव को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली केम्प शिवतलाव

उपखण्ड अधिकारी बाली

आदेश आज दिनांक 08.10.2021 को मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली केम्प शिवतलाव

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner